"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2003—श्रावण 17, शक 1925

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक 3989/18/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगमों के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नगरपालिक निगम का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	रायपुर	रायपुर	70
2.	दुर्ग	दुर्ग	51
		भिलाई	67
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	45
4.	बस्तर	जगदलपुर	40

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	बिलासपुर	बिलासपुर	55
6.	कोरबा	कोरबा	58
7.	रायगढ़	रायगढ़	40
8.	सरगुजा	अम्बिकापुर	40
9.	कोरिया	चिरमिरी	40

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक 3989/18/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषदों के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिका परिषद् का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	रायपुर	बीरगांव	30
		भाटापारा	27
		तिल्दा नेवरा	18
		गोबरानवापारा	18
		बलौदाबाजार	18
2.	धमतरी	धमतरी	36
3.	महासमुंद	महासमुंद	24
4.	दुर्ग	भिलाई-चरौदा	36
		दल्लीराजहरा	27
		बेमेतरा	18
		बालोद	18
		जामुल	18
		कुम्हारी	18
6.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	21
7.	कवर्धा	कवर्धा	21
9.	बस्तर	कोण्डागांव	18

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	उत्तर बस्तर	कांकेर	18
11.	दक्षिण बस्तर	किरन्दूल	18
		बड़ी बचेली	18
12.	बिलासपुर	मुंगेली	21
13.	कोरबा	दीपका	18
14.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-नैला	21
		चांपा	21
		सक्ती	18
		अकलतरा	18
15.	जशपुर	जशपुर नगर	18
16.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	21

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक 3989/18/2003.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगर पंचायतों के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	नगर पंचायत का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	रायपुर	भटगांव	15
		सिमगा	15
		आरंग	15
		खरोरा	15
		अभनपुर	15
		पलारी	15
		लवन	15
		राजीम	15
		कसडोल	15
2.	धमतरी	कुरूद	15

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	महासमुंद	सरायपाली	15
		पिथौरा	15
		बागबहरा	15
		बसना	15
4.	दुर्ग	अहिवारा	15
		धमधा	15
		पाटन	15
		थानखम्हरिया	15
		डौंडी	15
		गुण्डरदेही	15
		साजा	15
		बेरला	15
		गुरूर	15
		परपोड़ी	15
		देवकर	15
5.	राजनांदगांव	डौंडी-लोहारा	15
		गंडई	15
		छुईखदान	15
		खैरागढ़	15
		डोंगरगांव	15
		अम्बागढ़ चौकी	15
6.	कवर्धा	पंडरिया	15
7.	बस्तर	केसकाल	15
8.	उत्तर बस्तर	चारामा	15
		नारायणपुर	15
		भानुप्रतापपुर	15
9.	दक्षिण बस्तर	दंतेवाड़ा	15
		सुकमा	15
		गीदम	15
10.	बिलासपुर	तखतपुर	15
		कोटा	15
		लोरमी	15
		पेण्ड्रा	15
		गौरेला	15
		रतनपुर	15
		बोदरी	15
		बिल्हा	15

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	कोरबा	कटघोरा	15
12.	जांजगीर-चांपा	बलौदा	15
		नया बाराद्वार	15
		शिवरीनारायण	15
		खरौद	15
		अड़भार	15
13.	रायगढ़	सारंगढ़	15
		खरसिया	15
		धरमजयगढ़	15
		घरघोड़ा	15
14.	जशपुर	पत्थलगांव	15
15.	सरगुजा	रामानुजगंज	15
		सूरजपुर	15
		विश्रामपुर	15
		बलरामपुर	15
		सीतापुर	15
		राजपुर	15
		लखनपुर	15
		कुसमी	15
		प्रतापपुर	15
		वाड्रफनगर	15
		भटगांव	15
16.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	15
		झगराखण्ड	15
		चरचा	15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.